



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1555]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 2010/श्रावण 8, 1932

No. 1555]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 2010/SHRAVANA 8, 1932

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2010

का.आ. 1861(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खण्ड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् यह उपबंध करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 26 में निर्दिष्ट धारा 14 के खण्ड (ग), (घ), (ज), (ट), (ड), (ढ), (द) और खण्ड (ध) के विनिर्दिष्ट विषय भी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के अधीन निरीक्षण के विषय होंगे।

[फा. सं. 10/2/08-ईसी]

देवेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2010

S.O. 1861(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby provides that the matters specified in clauses (c), (d), (h), (i), (k), (n), (r), and (s) of Section 14 referred to in Section 26 of the said Act shall also be the subject-matter of inspection under sub-section (2) of Section 17 of the aforesaid Act.

[F. No.10/2/08-EC]

DEVENDER SINGH, Jt.Secy.